ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 42-44
ISSN NO.-2347-2944
Vol-12, Issues-XII YEAR 2018 Extra

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

1. नाजिया बानो 2. विद्या राय,

1. असि0 प्रोफे0– समाज शास्त्र विभाग, श्री गुरू नानक डिग्री कॉलेज रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) भारत

2. एसो0 प्रोफे0– समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) भारत

Received- 02.05. 2018, Revised- 06.05. 2018, Accepted - 13.05.2018 E-mail: nazi07199277@gmail.com

सारांश : *महिला समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समाज में महिला एवं पुरूष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के विकास का होना या विकास का अवरूद्ध हो जाना, पूरे समाज को प्रभावित करता है। आधुनिक होने का दम भरते हमारे समाज में आज भी महिलाओं से जुड़े कुछ विषय हैं। वर्षों से महिलाओं की स्थिति एक शोषित रूप में रही है और जब कभी उसकी स्थिति को सशक्त करने का प्रयास किया गया, तो अन्य लोगों द्वारा उसे बलपूर्वक दबा दिया गया। उन्हें कई प्रकार के रीति–रिवाजों में फँसा कर, उसकी स्वयं की सोच को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। आज विभिन्न समस्याओं में घरेलू हिंसा चिन्ता का विषय है। स्त्रियाँ सदैव से दुनिया के प्रत्येक हिस्से में पुरूषों द्वारा एवं समाज की विभिन्न कुरीतियों द्वारा शोषित की जाती हैं। यह एक ऐसा समस्या है, जो किसी भी समाज के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक या बौद्धिक रूप से विकसित होने के बाद भी उस समाज में पाई जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा पर आधारित है।*

कुंजी शब्द – महिला, घरेलू हिंसा, शोषण, आपराधिक हिंसा, लैंगिगता, अवरूद्ध, शैक्षणिक, आर्थिक, बौद्धिक।

वर्तमान समय में महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वित्तीय एवं सैन्य सेवायें हों, वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा रूपी गम्भीर समस्यायें भी चिन्ता का विषय बनती जा रही हैं। हिंसा से सम्बन्धित मामलों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। महिला, वृद्ध या बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटनायें हिंसा या अपराध घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अधिकाँश कारणों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट है। कोई भी महिला यदि परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार में सम्मिलित है। घरेलू हिंसा से आशय महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यव्हार के साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से है। घरेलू हिंसा की जड़े हमारे समाज तथा परिवारों में गहराई से जमती जा रही हैं। घरेलू हिंसा आज समाज में एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है।

घरेलू हिंसा के विविध रूप –

तालिका सं0 1

क्रम सं0	महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक हिंसा
1.	मारपीट करना
2.	थप्पड़ का प्रयोग
3.	ठोकर मारना
4.	दाँत से काटना
5.	लात मारना
6.	मुक्का मारना
7.	किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना

तालिका सं0 2

क्रम सं0	महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक हिंसा
1.	बलात्कार एवं छेड़छाड़
2.	अश्लील साहित्य
3.	शारीरिक दुर्व्यवहार एवं लैंगिक भेदभाव

तालिका सं0 3

क्रम सं0	महिलाओं के विरूद्ध मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा
1.	अपमान या गालियाँ देना
2.	चरित्र एवं आचरण पर दोषारोपण
3.	पुत्र न होने पर अपमानित करना
4.	दहेज नहीं लाने पर अपमान करना
5.	नौकरी करने से छुड़वाना
6.	विवाह नहीं करने की इच्छा पर विवाह के लिए विवश करना
7.	आत्महत्या की धमकी देना
8.	मौखिक या अन्य भावनात्मक दुर्व्यहार

तालिका सं0 4

क्रम सं0	महिलाओं के विरूद्ध आर्थिक हिंसा
1.	बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना
2.	बच्चों के लिए खाना, कपड़े एवं दवाइयाँ उपलब्ध न कराना
3.	रोज़गार चलाने से रोकना अथवा विघ्न डालना
4.	वेतन उपभोग में असमायोजन
5.	घर से निकलने को विवश करना

घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम : भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस नये अधिनियम में पाँच अध्याय और 37 धाराओं को शामिल किया गया। अधिनियम के प्रथम अध्याय में

अनुरूपी लेखक

धारा एक व धारा दो को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अधिनियम के विस्तार क्षेत्र और विभिन्न पदों को परिभाषित किया गया है। अध्याय तृतीय में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता आदि शक्तियों का वर्णन किया गया तथा धारा 4 से 37 तक विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया।

महिलायें आज भी बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज का ताना–बाना घर से लेकर पुलिस प्रशासन तक ऐसा है कि महिला हर स्थान पर पीड़ित बनकर रहती है। घरेलू हिंसा के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 2005 से पूर्व हमारे पास 498ए और 304बी जैसी धारायें थीं, जो केवल दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से सम्बन्धित पर ही सुरक्षा प्रदान करती थीं, उसमें घर में होने वाली शारीरिक, मानसिक प्रताड़नाओं को स्थान प्राप्त नहीं था। परन्तु वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों पर कार्य कर रहे संगठनों के लिए आशा की किरण बनकर आया और यह अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा की ढाल बनकर आया। इस अधिनियम में महिलाओं के साथ समस्त प्रकार की हिंसाओं को सम्मिलित किया गया है।

घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण : पालन पोषण में पितृसत्ता अधिक महत्व रखती है, इसलिए बालिका को कमज़ोर तथा बालक को साहसी बनने पर महत्व दिया जाता है। महिलाओं के स्वातन्त्रय व्यक्तित्व को जीवन की आरम्भ अवस्था में ही कुचल दिया जाता है। घरेलू हिंसा में समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिलाओं के चरित्र पर सन्देह करना, शराब की लत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव तथा महिलाओं के अधिकारों का हनन आदि सम्मिलित है। 'टाटा स्कूल ऑफ सोशियल साइंस' (टी. आई.एस.एस.) द्वारा वर्ष 2014 में 'क्वेस्ट फॉर जस्टिस' रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा को अकसर एक पारिवारिक मामले के रूप में देखा जाता है, जिसमें पुलिस और न्यायालयों द्वारा परामर्श पर बल दिया जाता है।

साहित्य पुर्नवलोकन एवं ज्ञान की वर्तमान दशाः मानव जाति की लगभग आधी जनसंख्या महिला है फिर भी महिला के जीवन की गुणवत्ता संदिग्ध है। भारत में घरेलू हिंसा की घटनायें सामान्य हैं। महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक हिंसा के मामले गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण ब्यूरो और सामाजिक प्रतिरक्षा का राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एकत्रित अभिलेखों में प्राप्त किये जा सकते हैं। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 40 प्रतिशत वृद्धि मिलती है। सबसे अधिक उत्पीड़न के और इसके बाद छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार, शरीर व्यापार, दहेज मृत्यु, यौन सम्बन्धी उत्पीड़न, दहेज कानून, महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन आदि है। दहेज से सम्बन्धित हत्याओं में विशेषकर 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारतीय अपराध ब्यूरो के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश एवं राजस्थान में सर्वाधिक अपराध घटित हुए हैं। अन्य अपराध राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में मिलते हैं। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि सभी अपराधों की किसी कारणोवश शिकायते दर्ज नहीं की जाती हैं और उन्हें पंजीकृत भी नहीं किया जाता है। घरेलू हिंसा के प्रकरणों में पत्नी को पीटना और परिवार की महिलाओं के साथ किया गया पारिवारिक व्याभिचारी की कभी शिकायत नहीं की जाती है।

12अपराधिक, घरेलू और सामाजिक हिंसा का प्रचार–प्रसार है। घरेलू मारपीट, सती, कन्या, भ्रूण हत्या, हत्या बालात्कार, अपहरण तथा दहेज हत्या आदि रूपों में हिंसा व उत्पीड़न दृष्टिगत होती है। इन हिंसाओं की उत्पीड़ित वे महिलायें होती है, जो असहाय, अवसादग्रस्त, दबावपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाली, सामाजिक रूप से अपरिपक्व होती है। भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति से सुधार के लिए कई प्रावधान किये गये है। परन्तु आज भी महिलायें उत्पीड़न की शिकार है। समय–समय पर विभिन्न राष्ट्रीय कानूनो, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं, समितियों व महिला आयोग का गठन किया जाता है। इनके पश्चात भी महिलाओं के प्रति हिंसा सम्बन्धी अपराधों में वृद्धि हो रही है। समाज में सभी वर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों एवं महिला आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरूद्ध जन जागृति पैदा कर महिलाओं को सुरक्षा हेतु विधि सम्मत वातावरण तैयार कर महिला विकास में सहयोग प्रदान करें।

सुझाव :

(1) शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं को घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।

(2) बालिकाओं के साथ–साथ बालकों की भी परामर्श कर कानूनी ज्ञान की जानकारी देना।

(3) महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर जन जागरूकता पैदा करने को महत्व दिया जाना चाहिए।

(4) पीड़ित महिलाओं को पुलिस प्रशासन की सहायता लेना तथा अपनी समस्याओं को पुलिस के हस्तक्षेप रखना।

(5) हिंसा के विरूद्ध आगे बढ़ते हुए जागरूक होकर आवाज़ उठाने पर बल देना।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव, सुधा रानी (2007), भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, तृतीय विस्तृत संशोधित संस्करण 2007, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
2. डॉ0 राजकुमार (2008), 'महिला एवं विकास' प्रथम संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
3. महाजन, संजीव (2007), 'भारतीय समाज' प्रथम संस्करण 2007 अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
4. नैयर, रेणुका (1990), 'नारी स्वातान्त्रय के बदलते रूप' प्रथम संस्करण, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़।
5. तिवारी वीरेन्द्र कुमार (2015), 'शोध पत्र' इन्टरनेशनल लेवल मल्टी डिसीपिलेनरी रिसर्च जर्नल वाल्यूम–5, इश्यू–5, नवम्बर 2015, आई. एस.एस.एन. : 2231–5063
6. घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), वूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (2013), हैड बुक दिल्ली।
7. आहुजा राम (1998), 'महिलाओं के प्रति हिंसा' रावत पब्लिकेशन्स ।
8. www.mediaforright.org

*****